पत्रांक 15/सी2–211/2010
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग

पटना, दिनांक /2014

विषयः– बिहार सरकार द्वारा गठित एवं संचालित अकादमियों के गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु मानदेय की स्वीकृति ।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा गठित एवं संचालित अकादमियों के गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु सरकार द्वारा मानदेय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी, मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, बंगला अकादमी, संस्कृत अकादमी एवं भारत सरकार की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन योजना के अन्तर्गत बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी का गठन विभिन्न संकल्पों के द्वारा किया गया है, जो अभी संचालित है। इन अकादमियों का संचालन राज्य सरकार द्वारा गैर योजनान्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि से होता है।

3. सभी गठित एवं संचालित अकादमियों के गैर सरकारी अध्यक्ष के लिए प्रतिमाह रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र मानदेय, 10,000/– (दस हजार) रूपये मकान भत्ता तथा रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार) परिवहन भत्ता को अध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर दिया जा सकता है।

4. इन अकादमियों के सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) को प्रत्येक बैठक के लिए रू0 1,000/– (एक हजार) देय होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी महीने में बैठक हेतु देय शुल्क रू0 1000/– (एक हजार) से अधिक नहीं होगा। यह निर्णय सभी अकादमियों यथा भोजपुरी अकादमी, मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, बंगला अकादमी, संस्कृत अकादमी एवं बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान पर लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा जिस शीर्ष/ उपशीर्ष से सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा विमुक्ति की जाती है, उसी शीर्ष /उपशीर्ष से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/सी2–211/2010 के पृष्ठ 58/टि0 पर दिनांक 24.06.2014 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/सी2-211/2010 में दिनांक 04.03.2014 को पृष्ठ 50/टि0 पर वित्त विभाग की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

8. यह आदेश पत्र निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/सी2-211/2010 - 1380 पटना, दिनांक 18/7/2014

प्रतिलिपि :- निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/निदेशक, सभी अकादमी, पटना/आय व्यय-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/अवर सचिव-सह-लेखा एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14 एवं 15 शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग/कार्यवाहक सहायक एवं लेखापाल, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
राजेश